6084(E)
1/9/26

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 1/9/26 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर अन्तर्गत Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract Package No.-27B/Hajipur कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 एवं पत्रांक–5625(E) दिनांक–17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–2440 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2563(अनु०) दिनांक–21.08.2026 एवं पत्रांक–2621 दिनांक–27.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर क्रमशः दिनांक–21.08.2026 एवं दिनांक–27.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या	:	Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract Package No.-27B/Hajipur
2.2	योजना मद	:	3054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	वैशाली पथ प्रमण्डल, हाजीपुर।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹9791.44 लाख। विभागीय ज्ञापांक–3247(एस०) दिनांक–12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹11540.97 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–1602(अनु०) दिनांक–23.05.2026
2.6	ECV/परिमाण विपत्र की राशि	:	₹9801.43437 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (MBD)

2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026

2.10 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 07 (सात) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

(1) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Private Limited
(2) M/s JM Enterprises Infra Private Limited
(3) M/s Ramjee Singh Construction Private Limited
(4) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
(5) Agrawal Infrabuild Private Limited
(6) M/s Sai Engicon and Construction Private Limited
(7) Deopura Infra Construction Private Limited

4. उपभागीय ज्ञापांक–2440 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में कुल **सात** निविदाकारों में से दो निविदाकार यथा (i) Agrawal Infrabuild Private Limited एवं (ii) Deopura Infra Construction Private Limited निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। शेष पाँच निविदाकार यथा **(i)** M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Private Limited को ITB Clause-17 एवं Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU के आलोक में **(ii)** M/s JM Enterprises Infra Private Limited को Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU के आलोक में **(iii)** M/s Ramjee Singh Construction Private Limited को ITB Clause-17 एवं Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6 के आलोक में **(iv)** Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में एवं **(v)** M/s Sai Engicon and Construction Private Limited को MBD के Section-3 के 1.2.1 (a) & (b) के तहत असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय आदेश–141 सह पठित ज्ञापांक–5355 (S) दिनांक– 28.10.2021 के आलोक में तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया वशर्त्ते उक्त विभागीय निदेश के अनुसार निर्धारित अवधि (दो कार्य दिवस) में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त न हो। यदि परिवाद प्राप्त होता है, तो सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–2440 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरूद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक– RRC/26-27/202 दिनांक– 14.08.2026 (2) Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक–शून्य दिनांक–14.08.2026 (3) M/S JM Enterprises Infra Construction Private Limited का पत्रांक–JM/PAT/2026-27/21 दिनांक–17.08. 2026 एवं अन्य निविदा (OPRMC Phase-III 05A) में निविदाकार (4) JKM Infra Projects Ltd. का पत्रांक–JKM/PAT/INBR/Muz/CE/2026/819 दिनांक–17.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के

पत्रांक–2563(अनु०) दिनांक–21.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक–21.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार, Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक– RRC/26-27/202 दिनांक–14.08.2026, Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक–शून्य दिनांक–14.08.2026, M/S JM Enterprises Infra Construction Private Limited का पत्रांक–JM/PAT/2026-27/21 दिनांक–17.08.2026 एवं अन्य निविदा (OPRMC Phase-III 05A) में निविदाकार JKM Infra Projects Ltd. का पत्रांक–JKM/PAT/INBR/Muz/CE/2026/819 दिनांक–17.08.2026 द्वारा इस निविदा के निविदाकार Agrawal Infrabuild Private Limited के विरूद्ध परिवाद / आपत्ति समर्पित किया गया है।

परिवाद / आपत्ति की समीक्षा :–

	परिवाद / आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय / अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1	**Rai Raj Construction Pvt. Ltd. :–** उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि उक्त पथ प्रण्डल हाजीपुर अंतर्गत Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Contract प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 27 B/ Hajipur में मेरे द्वारा निविदा में भाग लिया गया था परन्तु आपके द्वारा ITB Clause- 17 के आलोक में बिड security BG के रूप में Conditional BG Upload किया गया एवं पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अधीन दो कार्यों यथा (1) बिहार बख्तियापुर पथ कारगिल चौक से पचासा मोड़ का चौड़ीकरण एवं (2) पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अन्तर्गत NH-82 leftout अंश (इतवारी बाजार से उपरौरा मोड़) पथ का चौड़ीकरण कार्य न्यूनतम निविदाकार होने के फलस्वरूप आवंटन होने के बावजूद एकरारनामा नहीं किया गया। ये दोनों कारण लगाकर आपके द्वारा तकनीकी बिड में असफल किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। (1) पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अन्तर्गत दो पथों में कार्य आवंटन हुआ था परन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा forest clearnace एवं Utility shifting का NOC नहीं उपलब्ध कराने के कारण मेरे द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया जिसके लिए अनेको बार पत्र के माध्यम से कार्यपालक अभियंता को बार–बार अनुरोध मेरे द्वारा किया गया कि अविलम्ब forest clearance एवं Utility shifting का NOC उपलब्ध कराया जाये क्योंकि दोनों	इनके द्वारा आपत्ति दिया गया है कि ITB Clause-17 Conditional BG का कारण लगाकर तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया है। वास्तविकता यह है कि इनके द्वारा Upload किया गया Bank Guarantee को Valid मानते हुए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा मान्य किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निविदाकार Rai Raj Construction Pvt. Ltd. द्वारा बिना जाँचें आधारहीन तथ्यों पर आपत्ति दिया गया है। फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है। इन्हें पथ प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत न्यूनतम निविदाकार होने पर आवंटित दोनों कार्य LOA निर्गत होने के बाद भी एकरारनामा नहीं	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	पथों में Road का चौड़ीकरण करना था। बिना forest clearance एवं Utility shifting हटाये हुए कार्य करना संभव नही था छायाप्रति संलग्न। परन्तु कार्यपालक अभियंता का ज्ञापांक– 1952 दिनांक– 15. 09.2025 को निविदा में जमा जमानत की राशि बैंक गारंटी दोनों पथों का जब्त करने हेतु कारवाई की गयी। इसके उपरांत ही मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना के कोर्ट में मुझे जाना पड़ा। forest clearance एवं Utility shifting का NOC न प्राप्त होने के उपरांत कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत Letter No.- 1425 दिनांक– 03.07.2025 Revised Letter of Acceptance एवं Letter No.- 1426 दिनांक– 03.07.2025 Revised Letter of Acceptance दोनों LOA माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसका छायाप्रति संलग्न। अतः श्रीमान् से सादर पूर्वक अनुरोध है कि दो कारणों से तकनीकी बिड में असफल किया गया है। मेरे द्वारा साक्ष्य के साथ बिन्दुबार आवश्यक कागजात समर्पित के साथ अनुरोध है कि मुझे पुनः तकनीकी बिड में सफल करने हेतु पुनः विचार की कृपा की जाये।	किया गया जिसके कारण कार्य ससमय नहीं कराया जा सका एवं विभाग द्वारा पुनर्निविदा किया गया। उपरोक्त परिस्थिति MBD के Section 3 Clause 1.2.1 (b) record of poor performance such as abandoning the works के श्रेणी के आधार पर MBD के Section 1.2.1. (b) की Condition Fullfill नहीं करते है जिसके आलोक में इन्हें असफल घोषित किया गया है। फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है।	
2.	**Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. :-** उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि NIT No.-01/RCD/Hajipur/2026-27/ द्वारा आमंत्रित निविदा के तकनीकी मूल्यांकन में मेरा बीड असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया है जिस पर मुझे आपत्ति/परिवाद दर्ज करना है, क्योंकि निविदा प्रपत्र में वांछित शर्तों के अनुरूप मेरा तकनीकी बीड सभी अर्हत्ता को पूरा करता है। तकनीकी मूल्यांकन में मेरे बीड को दो बिन्दुओं यथा B.G की Validity Period एवं HOT MIX Plant के स्वामीत्व के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है जबकि उक्त बिन्दुओं के संदर्भ में विस्तृत रूप में स्पष्ट किया जाता है। **1. B.G Validity period (180 दिन)** Uploaded model Bid document में Bid Security के लिये एक विहित प्रपत्र (Form) संलग्न किया गया है जिसमें Bid Security के	निविदाकार Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd के द्वारा Uploaded Bank Guarantee की वैधता दिनांक–16.12.2026 तक ही है जो end date of Bid submission 03.07.2026 को मद्देनजर रखते हुए 180 दिनों से कम है। MBD के ITB Clause 17.3 में स्पष्ट है कि The Bank Guarantee for EMD should be valid for not less than 180 days after bid submission end date or beyond any period of extension if requested under ITB 16.2. एवं NIT के कंडिका 18 (c) में भी स्पष्ट रूप से अंकित है कि The Bank Guarantee for EMD should be valid for not less than 180 days after bid submission end date. विदित हो कि निविदा की अंतिम तिथि को बढ़ाये जाने के पश्चात् पुनः सभी अभिलेखों को e-Proc-2 पर पुनः Re-Submitted किया जाना अनिवार्य है। जिसके उपरान्त ही Bidder का	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	लिए Obligation संबंधित शर्तों को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तदनुसार Bid Security form के कंडिका 5 में "This Guarantee will remain in force up to and including the date 180 days or as it may be extended by Employer, notice of which extension (s) to the bank is here by walved. Any demand in respect of this guarantee should reach the Bank not later than the above date." अंकित है। अतएव Bid Security अवधि को विस्तारित करने का प्रावधान अंकित है। इस परिस्थिति में इस अवधि (180 दिन) को Technical Bid में असफल घोषित कररने का आधार बनाना सवर्था गैर तकनीकी और त्रुटिपूर्ण है। इस स्पष्टीकरण में यह वर्णन करना समाचीन है कि उक्त निविदा को प्राप्त करने के अंतिम तिथि को चार बार संशोधित किया गया है। जबकि NIT एवं संबंधित निविदा प्रपत्र Eproc-2 के Website पर Upload किये जाने के बाद भी अंतिम समय में निविदा प्राप्ति के तिथि को परिवर्तित किया जाता रहा। किसी बीड को समर्पित करने के लिये निविदाकार बैंक एवं अन्य संस्थानों/विभागों के माध्यम से B.G एवं अन्य कागजात तैयार करना पडता है और Last Moment में rushing activities से बचने के लिये एक दिन दो दिन पहले सभी कागजात तैयार किये जाते है। यह उल्लेखनीय है कि बार–बार B.G बनाने में Bank Processing fee एवं प्रक्रिया में समय लगता है जबकि एक बार B.G बना लेने पर अवधि का विस्तार करना Legally Valid है। 2. मेरे द्वारा दिये गये निविदा में HMP का स्वामित्व प्रमाण 80/100 TPH का Certificate लगा हुआ है जो 06.01.2013 का है, जो निविदा के Equipment section में मेरे द्वारा HMP स्वामित्व का Upload कागजात पूर्णतः दुष्टव्य है। मेरे द्वारा इसी HMP पलान्ट द्वारा पथ निर्माण विभाग के हाजीपुर, पटना पश्चिम , पटना सिटी, मुजफ्फपुर, समस्तीपुर पथ प्रमण्डल, में निम्नलिखित वर्णित कार्यों को ससमय सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है।	Subimission Successful होता है। निविदाकार Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd द्वारा सभी अभिलेखों को Re-Submitted किया गया परन्तु Extended Bank Guarantee Re-Submitted नहीं किया गया। फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है। निविदाकार Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd द्वारा Section 4, D3, Equipment form EQU में Form में H.M.P का स्वामित्व दर्शाया है। स्वामित्व से संबंधित दो अभिलेख Upload किया गया है। एक अभिलेख यथा H.M.P Maruti Equipments Ltd द्वारा निर्गत Certificate दिनांक–14.08.99 जो Surendra Prasad के पक्ष में निर्गत है जिसमें year of Manufacture-1999 अंकित किया गया है। MBD Section-3 Clause 2.6 में अंकित है कि The Bidder shall own at least One Hot Mix Plant (40-60 Tonne/Hour Capacity) not more than 15 year age. तदनुसार Manufacture-1999 के Certificate को मान्य नहीं किया जा सकता है। एक अन्य H.M.P हेतु Dasmesh Enginnering Works द्वारा मात्र एक Undertaking (To Whom it may Concern) दिनांक–06.01.2013 के द्वारा Sri Surendra Prasad को निर्गत है। जिसके साथ tax Invoice संलग्न नहीं	

1. Strengthening of Suresh Chowk Dabaich Derua-Sukki-Sariya Ghat-Maheshi Chowk-Sujawalpur N.H Road from 0.00 to 12.00 km for the year 2018-19 2. Bill of Quantity for Widening & Strengthening of Toll Plaza NH-22 to Daulatpur Bypass road (Total Length-10.10 km) in Vaishali Road Division, Hajipur (Under Sat Nischay-2 Sulabh Samparkata Scheme (Including H.P. Culvert, Utility Shifting etc.) 3. Development of Bypass Road from Chhitnawa (NH-30) to Usari (7.10 km) (Danapur Shiwala RCD Road) for the year 2022-23 (Under CRIF) 4. Widening & Strengthening of Lodipur (NH-30, Danapur-Maner-Bihta Road) to Painal (Shiwala Bihta Road) Length-10.00 km) under Patna West Road Division, Patna for the year 2022-23 (Under NABARD) 5. Construction/Improvement cum Output & Performance Based Road Assets Maintenance work for the road Pagara (NH-28)-Asinchowk-Maniyarpur-Kancha-Sothgama-Lagma-Mohiudinagar Railway Station- Chandani Chowk under work division Samastipur for the year 2014-15 6. I.RQ.P. cum-output and performance based road assets maintenance work for Turki (N.H.-77) to Saraiya (N.H.-102) in km 0 to 22 (Total Length-22.00 km) for the year 2014-15. अतः स्पष्ट करना है कि निविदा में Uploaded तकनीकी बीड में वर्णित HOT Mix Plant मेरे स्वामित्व में अधीन तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य करने में सफल है मेरे स्वामीत्वधीन Total & Plant के रूप में मेरा Working Assets है। इस आधार पर मेरे तकनीकी बीड का सफल करने का अनुरोध है। अतः श्रीमान से निवेदन है	है और ना ही Year of Manufacture अंकित है तदनुसार इस Certificate को भी मान्य नहीं किया जा सकता है। फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है।	

	कि उपरोक्त बिन्दुओं को देखते हुए मेरे निविदा को तकनीकी रूप से सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाय।		
3.	**M/S JM Enterprises Infra Construction Private Limited:-** With reference to the above-mentioned subject and references, we JM Enterprises Infra Private Limited hereby submit our clarification and supporting document in respect of the Hot Mix Plant requirement specified under Clause 2.6 - Equipment of Section 3: Evaluation and Qualification Criteria of the Model Bidding Document. As per the provisions of the said clause, the Bidder is required to demonstrate the availability of one Hot Mix Plant having a capacity of 40-60 Tonnes per Hour and not more than 15 years of age, as stipulated in the bidding document. We respectfully submit that the required Hot Mix Plant was available with the Bidder and the requisite details were furnished as part of our bid submission. However, due to an inadvertent oversight at the time of compilation and submission of the bid documents, the invoice of the Hot Mix Plant was not uploaded/submitted along with the original bid documents. The non-submission of the invoice was purely an inadvertent omission and was not due to non-availability of the required equlpment. The Hot Mix Plant complies with the capacity and age requirements prescribed in the tender document, and the enclosed invoice is being submitted solely to substantiate and establish the ownership/availability and relevant particulars of the equipment already declared for the purpose of meeting the tender requirement. Clarification under ITB Clause 22 - Clarification of Bids Clause: 22 22.1 To assist in the examination, evaluation, and comparison of the bids, and qualification of the Bidders, the Employer may, at its discretion, ask any Bidder for a clarification of its bid. Any clarification submitted by a Bidder that is	विषयांकित निविदा में निविदाकार M/S JM Enterprises Infra Construction Private Limited द्वारा भाग लिया गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा M/S JM Enterprises Infra Construction Private Limited को MBD के Section 3: Clause 2.6 Section 4, D.3, from EQU के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। इनके द्वारा Hot Mix Plant के स्वामित्व से संबंधित कोई भी अभिलेख निविदा के साथ नही Upload नहीं किया गया है जो MBD के Section 3: Clause 2.6 Section 4, D.3, from EQU के अनुरूप नहीं है। इनके द्वारा समर्पित आपत्ति में स्वीकार किया गया है कि Invoice of the Hot Mix Plant was not uploaded/submitted along with the original bid documents. फलतः आपत्ति को मान्य नहीं किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

not in response to a request by the Employer shall not be considered. The Employer's request for clarification and the response shall be in writing. No change in the prices or substance of the bid shall be sought, offered, or permitted, except to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the A Employer in the eyaluation of the bids, in accordance with.ITB 26.

22.2 If a Bidder does not provide clarifications of its bid by the date and time set in the Employer's request for clarification, its bid may be rejected.

In view of the above, we humbly request your good effice to kindly:

1. Take the enclosed Hot Mix Plant Invoice on record as a clarification/supporting document against the equipment requirement specified under Clause 2.6 of Section 3 of the Model Bidding Document;

2. Consider the said omission as an inadvertent documentary shortfall/clarification, since the required equipment was available and had already been declared for the tender;

3. Verify the enclosed document and consider our bid based on the substantive compliance with the prescribed technical and qualification requirements; and

4. Kindly consider our bid as technically responsive and allow us to proceed further in the tender evaluation process.

We assure you that the submission of the enclosed document does not alter or modify any part of our original bid and is being submitted only in response to the clarification sought by the Employer.

We respectfully submit that JM Enterprises Infra Private Limited has successfully delivered to similar projects to the state government and possesses the required qualified technical staff, machinery, skilled labour, and other resources necessary for successful execution of the subject work.

The non-submission of the Hot Mix Plant invoice was purely an inadvertent omission by the computer operator during

<table>
<tr>
<td></td>
<td>compilation/uploading of the bid documents, and not due to non-availability of the equipment or lack of technical capability. Since the required Hot Mix Plant was already available with us and its details had been declared in the bid, we humbly request that the Company may not be penalized or its bid rejected solely due to this inadvertent documentary omission.

We therefore request your good office to kindly accept and verify the enclosed invoice, consider our bid as substantially compliant, and allow us an opportunity to participate in the financial evaluation stage in the interest of fair, transparent, and competitive tender evaluation.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>JKM Infra Projects Ltd. द्वारा समर्पित परिवादः–

Litigation details of M/s Agrawal Infrabuild Private Limited given Below :-

1. CWJC No. 2302/2026, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Rajasthan State Road Development and Construction Corp Ltd.) (High Court, Rajsthan.)

2. WP (C) 13176/2025, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s National Highway Authority of India & Others.) (High Court , Delhi.)

3. WP (C) 4599/2025, M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s National Highway Authority of India & Others.) (High Court, Delhi.)

4. Tax C No 167/ 2023 M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Asst Comm of Income Tax, Rajpur Chhattisgarh) (High Court of Chhattisgarh at Bilaspur.)

5. SLP no 32645/2025 Dt 12.01.2026 M/s Agrawal Infrabuild Private Limited V/s Asst Comm of Income Tax, Rajpur Chhattisgarh) (Supreme Court of india, Cour no. 15.)

In View of the facts stated above, it is respectfully submitted that the circumstances relied upon for declaring</td>
<td>यद्यपि JKM Infra Projects Ltd. इस निविदा के निविदाकार नहीं है तथापि इनके द्वारा निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया है।

निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited को वांछित अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति में सफल घोषित किया गया है।

अन्य निविदा में निविदाकार JKM Infra Projects Ltd. द्वारा निविदाकार M/s Agrawal Infrabuild Private Limited के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया गया है। परिवाद में अंकित सभी वादों (Court Case) के समीक्षोपरांत वर्णित वादों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है :–

<table>
<tr><th>S.l No.</th><th>Case No.</th><th>Case Status</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>CWJC No. 2302/2026,</td><td>Case Disposed</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>WP (C) 13176/2025,</td><td>Case Disposed</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>WP (C)</td><td>Case</td></tr>
</table>
</td>
<td>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>the Technical Bid Non-Responsive/ Disqualified primarily relate to either; Matters relating to disclosure/clarification of litigation and concluded arbitration, where there was no wilful concealment, fraudulent misrepresentation or intention to mislead the Department.</td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>4599/2025,</td><td>Disposed</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Tax C No 167/ 2023</td><td>Case Disposed</td></tr>
</table>
शेष एक Hon'ble Supreme Court of india में Litigation SLP no 32645/2025 Dt 12.01.2026 Pending है जो Assistant Commissioner of Income Tax Central Circle-II Tax से संबंधित है।

चूँकि उक्त वाद विभागीय कार्य से संबंधित नहीं है फलस्वरूप इस आधार पर परिवाद मान्य नहीं किया जा सकता है।
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

7. परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

इस निविदा के निविदाकार M/s Sai Engicon and Construction Private Limited द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न बैठक में पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत एकरारनामा संख्या-01/SBD/2021-22 के तहत् कराये जा रहे कार्य में उदासीनता बरतने एवं ससमय कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण Non Performing Contract (Abandoning the work) के आधार पर असफल घोषित किए जाने के निर्णय के विरूद्ध आपत्ति दर्ज नहीं की गयी थी। परन्तु सीमांचल उपभाग के पैकेज संख्या-15B में इसी बिन्दु पर आपत्ति दर्ज की गई है। उक्त आपत्ति को समीक्षोपरान्त् मान्य करते हुए सफल घोषित करने का प्रस्ताव विभागीय परिवाद समिति को दिया गया है। उक्त आधार पर M/s Sai Engicon and Construction Private Limited को सफल घोषित करने का संशोधित अनुंशसा किया जाता है।

साथ ही समिति द्वारा समीक्षोपरान्त् एवं सम्यक् विचारोपरान्त निविदाकार Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक-RRC/26-27/202 दिनांक-14.08.2026, Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक-शून्य दिनांक-14.08.2026 एवं M/s JM Enterprises Infra Construction Private Limited का पत्रांक-JM/PAT/2026-27/21 दिनांक-17.08.2026 द्वारा दिए गए आपत्ति को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण एवं JKM Infra Projects Ltd. के परिवाद पर समीक्षोपरान्त् उपभागीय ज्ञापांक-2440 दिनांक-13.08.2026 द्वारा निर्गत कार्यवाही में M/s Sai Engicon and Construction Private Limited को छोड़कर घोषित सफल/असफल के निर्णय को यथावत् रखा जा सकता है।

8. सीमांचल उपभाग के पैकेज संख्या–15B में असफल निविदाकार यथा M/s Sai Engicon and Construction Private Limited के द्वारा बिन्दु पर आपत्ति दर्ज की गई है, जिसमें विषयगत निविदा में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकार M/s Sai Engicon & Construction Pvt. Ltd. को विभाग द्वारा पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत एकरारनामा संख्या–01/SBD/2021-22 के तहत् कराये जा रहे कार्य में उदासीनता बरतने एवं ससमय कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण एकरारनामा विखंडित कर Risk & Cost पर कराये गये कार्य को दृष्टिपथ में रखते हुए Non-Performing Contract (Abandoning the work) के आधार पर असफल घोषित किया गया था। विभाग द्वारा इसी मामले में निविदाकार को Blacklist किया गया था, जिसके विरूद्ध निविदाकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-9646/2025 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक–23.09.2025 के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग द्वारा निर्गत Blacklisting का आदेश–09(E) दिनांक–01.01.2025 एवं 5372(E) दिनांक–13.08.2025 को विभागीय आदेश ज्ञापांक–8280(E) दिनांक–09.12.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः आपत्ति मान्य किया जाता है।

9. परिवाद समिति का निर्णय :–

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक– RRC/26-27/202 दिनांक–14.08.2026 (2) Surendra Prasad & Lahri Construction Pvt. Ltd. का पत्रांक–शून्य दिनांक–14.08.2026 (3) M/S JM Enterprises Infra Construction Private Limited का पत्रांक–JM/PAT/2026-27/21 दिनांक–17.08.2026 एवं अन्य निविदा (OPRMC Phase-III 05A) में निविदाकार (4) JKM Infra Projects Ltd. का पत्रांक–JKM/PAT/INBR/Muz/CE/2026/819 दिनांक–17.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(ii) 04 (चार) निविदाकार यथा (1) M/s Surendra Prasad & Lahri Construction Private Limited को ITB Clause-17 एवं Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU के आलोक में (2) M/s JM Enterprises Infra Private Limited को Section 3 : Clause 2.6 Section 4, D.3, Form EQU के आलोक में (3) M/s Ramjee Singh Construction Private Limited को ITB Clause-17 एवं Section-3, Clause 2.3.1 (a), Section 4E.6 के आलोक में एवं (4) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. को MBD के Section 3: Clause 1.2.1 (b) के आलोक में के तहत असफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता हैं।

(iii) तीन निविदाकार यथा (1) Agrawal Infrabuild Private Limited (2) Deopura Infra Construction Private Limited एवं (3) M/s Sai Engicon and Construction Private Limited द्वारा निविदा की वांछित अर्हत्ता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता हैं। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक–2440 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

9.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

01/9/26 01/9/26 1/9/26 01/9/26

(सुनील कुमार सुमन)	(राजेश कुमार गुप्ता)	(अभिषेक पलासिया)	(उमा कान्त रजक)
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–84/2026 608 ५(E) पटना, दिनांक 1/9/26

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/9/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।